कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण – गाजियाबाद

विज्ञप्ति

राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली की पराविधिक स्वयं सेवक योजना 2009 के अन्तर्गत, जनपद गाजियाबाद में मुख्यालय एवं तहसील स्तर पर पराविधिक स्वयं सेवकों का चयन किया जाना है। इस सम्बन्ध में निम्नलिखित समूहों में से ऐसे व्यक्तियों को जो जन समूह को विधिक सेवा उपलब्ध कराने एवं निचले व कमजोर वर्ग के व्यक्तियों के प्रति सहानुभूति रखते हुए उनके विकास व सामाजिक उत्थान हेतु इच्छुक हो, को पराविधिक स्वयं सेवक के रूप में चयन हेतु वरीयता दी जायेगी। **एक व्यक्ति केवल एक ही आवेदन कर सकेगा। अधिवक्ता आवेदन हेतु पात्र नहीं होगें।**

चयनित पराविधिक स्वयं सेवकों को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा समय–समय पर निर्धारित मानदेय के अतिरिक्त किसी भी प्रकार का वेतन भत्ता अथवा पारिश्रमिक देय नहीं होगा।

लक्षित समूहः–

1. अध्यापक(सेवा निवृत्त अध्यापकों सहित)
2. सेवा निवृत्त सरकारी सेवक व वरिष्ठ नागरिक
3. सामाजिक कार्य में परास्नातक(एम0एस0डब्ल्यू)के अध्यापक व छात्र
4. ऑगनवाड़ी कार्यकर्ता
5. चिकित्सक
6. विधि छात्र(जब तक कि अधिवक्ता के रूप में पंजीकृत न हो) एवं छात्र
7. एन0जी0ओ0 एवं क्लब के गैर राजनीतिक सदस्य
8. महिला संगठनों के सदस्य, मैत्री संगठन व अन्य सेवा समूह के सदस्य
9. शिक्षित बन्दी जो अच्छे व्यवहार के हो तथा लम्बी अवधि की सजा कारागार में काट रहें हों।(अधीक्षक जिला कारागार बन्दियों को यह सूचना अपलब्ध करायें एवं अभ्यर्थियों के आवेदन अग्रसारित कर कर्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को नियत तिथि तक प्रेषित करें)
10. अन्य व्यक्ति जिन्हें जिला विधिक सेवा प्राधिकरण या तहसील विधिक सेवा समिति इस हेतु अर्ह समझे।

जो व्यक्ति पराविधिक स्वयं सेवक के रूप में चयनित होना चाहते है वह अपने प्रार्थनापत्र दिनांक 15.09.2020 को सायं 05 बजे तक जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यालय में जमा कर सकते हैं। आवेदनपत्र की प्रति प्राधिकरण के कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है अथवा जनपद न्यायालय गाजियाबाद की वेबसाइट से डाउनलोड की जा सकती है।

प्राप्त आवेदन पत्रों पर सम्यक विचारोपरान्त साक्षात्कार की तिथि व स्थान की सूचना बाद में दी जायेगी, **जिसमें भाग लेने के लिए कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।**

उक्त से सम्बन्धित काई भी सूचना जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यालय से प्रत्येक कार्य दिवस में कार्यालय अवधि में प्राप्त की जा सकती है।

सभी अभ्यर्थी कोविड–19 महामारी के सन्दर्भ में केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पालन करेगें। सोसल डिस्टेंसिंग के साथ अनिवार्य रूप से मास्क का प्रयोग करेंगें।

दिनांकः–01.09.2020

(नीरज निगम) 01/09/2020
अध्यक्ष
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण/जनपद न्यायाधीश
गाजियाबाद

पत्रांक सं0 2768/XV दिनांक 01-9-2020

निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्कय कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. बार एसोसियेशन, गाजियाबाद।
2. कम्प्यूटर अनुभाग(वेबसाईट पर अपलोड किये जोने हेतु)।
3. मा0 जनपद न्यायाधीश का नोटिस बोर्ड।
4. जिला पंचायत राज अधिकारी, गाजियाबाद।
5. जेल अधीक्षक, जिला कारागार, गाजियाबाद।
6. तहसीलदार, सदर, गाजियाबाद।
7. तहसीलदार, मोदीनगर, गाजियाबाद।
8. तहसीलदार, लोनी, गाजियाबाद।
9. कार्यालय, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, गाजियाबाद।

1/9/2020
(मुख्य प्रशासनिक अधिकारी)
जनपद न्यायालय
गाजियाबाद

विज्ञप्ति

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, जनपद न्यायालय, गाजियाबाद

पराविधिक स्वंय सेवकों(पी0एल0वी0) की नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र

स्वाप्रमाणित फोटो

1. पद का नामः–..
2. अभ्यर्थी का नामः–...
3. पिता / पति का नामः–..
4. मोबाईल नम्बरः–..
5. जन्म तिथिः–..(प्रमाण पत्र सन्लग्न करें)
6. राष्ट्रीयताः–...
7. जाति / वर्गः–..................................(सामान्य / अन्य पिछड़ा वर्ग / अनुसूचित जन जाति / अनुसूचित जाति)
8. स्थायी पताः–...
   ....
9. पत्र व्यवहार का पताः–..
   ....
10. शैक्षिक योग्यताः–...(प्रमाण पत्र सन्लग्न करें)
11. कार्य करने का स्थानः–..
12. प्रशिक्षण एवं अनुभवः–..

घोषणा

मैं एतदद्वारा यह घोषणा करता / करती हूँ कि मेरे द्वारा उपलब्ध करायी गयी सभी जानकारियॉ / सूचनायें सत्य हैं इनमें से किसी भी सूचना / जानकारी गलत पाये जाने पर मेरा अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाये। सभी प्रमाण पत्र स्वप्रमाणित संलग्न हैं।

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर